तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी/टिए/2691/2005/चित्तोडगढ** **रकवा बनाम रामी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10-12-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति–** श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता प्रार्थी श्री एस0के0 पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा दिनांक 19-05-2005 को प्रकरण संख्या 134/2000 शीर्षक कन्या बनाम हमेरा वगैरा में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश के द्वारा वादी/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14, सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते प्रस्तुत करने दस्तावेजात को, खारिज किया गया है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा अधिनियम, 1955 की धारा 53,इ एवं 188 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया था जिसमें दौराने वाद वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया जिसे अविधिक रुप से अस्वीकार किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रतिवदी की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य के खण्डन हेतु वादीगण की ओर से बख्शीशनामा दिनांक 20-5-19809 जो कि पंजीबद्ध दस्तावेज है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि रिकार्ड पर लेने हेतु प्रस्तुत की गई थी। पंजीबद्ध दस्तावेज होने से इसके फर्जी होने की भी कोई संभावना नहीं रहती है। प्रकरण के गुणावगुण आधारित न्याय संगत निस्तारण के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर बख्शीशनामा दिनांक 20-5-19809 की प्रस्तुत की गई सत्यापित प्रति को रिकार्ड पर लिया जाये। निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित निगरानीधीन आदेश को निरस्त किया जाए।	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/2691/2005/चित्तोडगढ</u>** **<u>रकवा बनाम रामी</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी द्वारा जिस दस्तावेज की फोटो प्रति को प्रस्तुत करने हेतु आवेदन किया है, वह दस्तावेज काफी पुराना है, अतः इसे इनके द्वारा पहले ही प्रस्तुत करना चाहिए था। इतने पुराने दस्तावेज को प्रस्तुत करने के आधार पर ये प्रकरण को देरीना कर रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार व विवेक का सदुपयोग करते हुये, इनके आवेदन को खारिज किया है। इस आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। निगरानी को खारिज किया जाए। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी–प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये वादपत्र में दिनांक 28–3–2005 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर बख्शीशनामा दिनांक 20–5–19809 जो कि पंजीबद्ध दस्तावेज है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया गया है । प्रार्थी द्वारा जिस दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया गया है वह पंजीबद्ध दस्तावेज होने से इसके फर्जी होने की भी कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। यह सही है कि वादी द्वारा यह दस्तावेज काफी देरी से प्रस्तुत किया गया है, किन्तु जैसा कि दावा वादी का है और प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायोचित है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात पर परीक्षण हो कर गुणावगुण आधारित न्याय प्राप्त हो सके। देरी से पेश करने के आधार मात्र पर दस्तावेजात को रिकार्ड पर नहीं लिया जाना उचित नहीं है। फलतः निगरानी सारवान प्रतीत होना पाया जाता है। फलतः निगरानी इस आशय के साथ स्वीकार की जाती है कि अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी के न्यायालय में प्रार्थीगण–वादी यदि प्रतिवादी पक्ष को बतौर हर्जाना (कास्ट) रुपये 2,000/– (अक्षरे रुपये दो हजार मात्र) अदा कर देते हैं तो, कॉस्ट अदा करने की शर्त पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–05–2005 को निरस्त किया जाता है और प्रार्थी–वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>निगरानी/टिए/2691/2005/चित्तोडगढ</u>** **<u>रकवा बनाम रामी</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नियम 14, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जा कर बख्शीशनामा दिनांक 20–5–1980 की प्रमाणित प्रतिलिपि को रिकार्ड पर लेने का आदेश दिया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 28.12.2018 को उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी के न्यायालय में वास्ते अग्रिम कार्यवाही उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	